



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

25/5/2022

यू.ओ.नोट

सार्वजनिक सूचना

पृथ्वीराज नगर निम्न योजनाओं के निम्न भूखण्डधारी ने विभिन्न योजनाओं एवं समिति के भूखण्डों के नियमन/भू-आवंटन हेतु कार्यालय उपायुक्त पृथ्वीराज नगर (दक्षिण-प्रथम), जयपुर में आवेदन प्रस्तुत किया है। जो नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन/लीजडीड हेतु कार्यालय को प्राप्त हुये है। यदि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में कार्यालय को सूचित करें अन्यथा आवेदको के पक्ष में उक्त भूखण्डों का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन कर दिया जावेगा।

क्र.स	आवेदक का नाम मय पिता/पति का नाम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल व.ग.
1.	श्री मांगी लाल बैरवा पुत्र श्री सेडूराम बैरवा बन्धु गृह निर्माण सहकारी समिति लि. योजना भंवर नगर	39	223.33
2.	श्री रामेश्वर लाल चौधरी पुत्र श्री कल्याणमल चौधरी बन्धु गृह निर्माण सहकारी समिति लि. योजना भंवर नगर	08	156.79
3.	श्री रवि प्रकाश, देवेन्द्र प्रकाश जालान पुत्रान स्व. श्री चेतन प्रकाश जालान खुदाबादी सोनार को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि. योजना वर्धमान नगर	183	175.00

उक्त विज्ञप्ति राज्य सरकार के आदेश दिनांक 14.03.22 के क्रम में प्रकाशन करवाकर एक प्रति इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करावे, ताकि ऑन लाईन प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण किया जा सके।

उपायुक्त
पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम),
जयपुर

जन संपर्क अधिकारी

जयपुर, जयपुर

यू.ओ.नोट क्रमांक: जयपुर/उपा. पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम) /2022/डी- 963 / 24.05.2022

PROR-446
25/5/22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

पृथ्वीराज नगर(उत्तर), कार्यालय, चित्रकूट स्टेडियम, वैशाली नगर।
क्रमांक:-जविप्रा/उपा./पीआरएन-उत्तर(द्वितीय)/2022/डी- 625

दिनांक:- 24/5/22

—:सार्वजनिक सूचना:—

शंकर भवन गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर की योजना-कमान्डर्स कॉलोनी, सिरसी रोड, जयपुर में स्थित भूखण्ड संख्या 16 से 28 व 29ए के पट्टे मौका स्थिति अनुसार एवं भूखण्डों के पश्चिम दिशा में 9 व 10 फिट की गलियों को यथावत रखते हुये उक्त भूखण्डों के पट्टे आवंटित किये जा रहें। यदि इस सम्बन्ध मे किसी को कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस की अवधि में कार्यालय को सूचित करें, अन्यथा उक्त भूखण्डों का आवंटन कर दिया जावेगा।

उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-11
जविप्रा,जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा जयपुर को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर समाचार पत्र में 8 फॉन्ट साइज में प्रकाशित करवाकर विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस पश्चात् मूल प्रति कार्यालय में भिजवाने का श्रम करें।

2- उक्त पत्रावलीयों में नगरीय विकास के आदेश क्रमांक प.17(1)नविप्रा/अभियान/2021 दिनांक 14.03.2022 में विज्ञप्ति कार्यालय द्वारा प्रकाशन की कार्यवाही करवाया जाना प्रस्तावित है। सूचनार्थ

उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-11
जविप्रा,जयपुर।
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

PRD/R-444
25/5/22



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यूओनोट

सार्वजनिक विज्ञप्ति

पृथ्वीराज नगर निम्न योजनाओं के निम्न भूखण्डधारी ने विभिन्न योजनाओं एवं समिति के भूखण्डों के नियमन/भू-आवंटन हेतु कार्यालय उपायुक्त पृथ्वीराज नगर (उत्तर-प्रथम), जविप्रा में आवेदन प्रस्तुत किया है। जो नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन/लीजडीड हेतु कार्यालय को प्राप्त हुये है। यदि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में कार्यालय को सूचित करें अन्यथा आवेदको के पक्ष में उक्त भूखण्डों का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन कर दिया जावेगा।

क.सं.	आवेदक का नाम/पिता/पति का नाम	भू.सं.	क्षेत्रफल (व.ग.)
1	श्री किशन सैनी पुत्र श्री रामचन्द्र सैनी, अपंजीकृत इकरारनामा	161 पूर्वी भाग	189.86
2	श्री कमलेश सैनी पुत्र श्री रामचन्द्र सैनी, अपंजीकृत इकरारनामा (लक्ष्मण डूंगरी कच्ची बस्ती जयपुर की योजना नृसिंह विहार)	161 पश्चिमी भाग	190.22
3	श्रीमती उम्मेद कंवर शेखावत पत्नी श्री योगेन्द्र सिंह शेखावत (सुरजपोल गेट गृ.नि.स.स.लि. जयपुर की योजना श्योकरण वाटिका)	18	144.44
4	श्री नारायण लाल चौधरी पुत्र श्री किशनाराम चौधरी (बुनियादी विकास गृ.नि.स.स.लि. जयपुर की योजना मेहता नगर)	ए-7	170
5	श्री प्रवेन्द्र सिंह पुत्र श्री मनवर सिंह (हथरोईगढ़ी गृ.नि.स.स.लि. जयपुर की योजना नारायणपुरी (रामनिवास))	13	297.7
6	श्रीमती तारा स्वामी पत्नी श्री कन्हैया लाल स्वामी (जविप्रा जयपुर की आवासीय योजना गोकुल नगर)	573	312 व.मी.
7	श्री महावीर सिंह राठौड पुत्र श्री सायर सिंह राठौड (गोपालपुरा गृ.नि.स.स.लि. जयपुर की आवासीय योजना जगदीशपुरी)	20	238.50

उक्त विज्ञप्ति राज्य सरकार के आदेश दिनांक 14.03.22 के क्रम में प्रकाशन करवाकर एक प्रति इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करावे, ताकि ऑन लाईन प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण किया जा सके।

उपायुक्त एवं प्राधिकृत, उत्तर-प्रथम
जविप्रा, जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जन संपर्क अधिकारी
जविप्रा, जयपुर।

क्रमांक जविप्रा/उपा/पीआरएन/उत्तर-1/2022/डी- 592
दिनांक:- 19/05/22

PRO/R-445
25/5/22



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-2/2022/डी-743

दिनांक 23-5-22

विज्ञप्ति

जविप्रा में निम्नलिखित भूखण्डधारियों द्वारा भूखण्डों के नाम हस्तान्तरण/नियमन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदित भूखण्डों/भूखण्डधारियों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.स.	आवेदक का नाम/ऑन लाईन आवेदन क्रमांक	भूखण्ड संख्या मय योजना का नाम	उपलब्ध कराये गये दस्तावेज	लीज डीड/आवंटन पत्र	वांछित कार्यवाही
1	श्री दानिश खान पुत्र श्री गुलाम मोहम्मद/102191	डबल स्टोरी आवास संख्या ईएल-41, विधाधर नगर, जयपुर	अपजीकृत ईकरारनामा दिनांक 01.11.2001, वसीयतनामा	जविप्रा का आवंटन पत्र श्रीमती कृष्णा देवी अग्रवाल	नाम हस्तान्तरण /लीज डीड
2	श्री नरेश नारवानी पुत्र श्री शिरचूमल /97986	आवास संख्या ए-425, विधाधर नगर, जयपुर	अपजीकृत ईकरारनामा दिनांक 06.10.1986, 17.10.1995, हक त्याग पत्र दिनांक 15.03.2021	जविप्रा का आवंटन पत्र श्रीमती सुशीला देवी	नाम हस्तान्तरण /लीज डीड
3	श्री शिव कुमार मित्तल, गिरधारी लाल मित्तल पुत्रान श्री परमानन्द मित्तल/105912	शंकर भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना शंकर नगर के भूखण्ड संख्या 115 पूर्वी भाग	रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.04.2022, हक त्याग पत्र दिनांक 21.09.2021, 15.04.2021	गृ.नि.स.स. का आवंटन पत्र श्री मंगाराम के नाम से जारी	नाम हस्तान्तरण/लीज डीड/उपविभाजन
4	श्री शिव कुमार मित्तल, पुत्र श्री परमानन्द मित्तल/105916	शंकर भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना शंकर नगर के भूखण्ड संख्या 115 दक्षिणी-पश्चिमी भाग	रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.04.2022, हक त्याग पत्र दिनांक 21.09.2021, 15.04.2021		

अतः जरिये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि आवेदको द्वारा उपलब्ध कराये गये उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर आवेदित भूखण्डों के नाम हस्तान्तरण/नियमन/ उपविभाजन सम्बन्धी कार्यवाही किये जाने में किरसी संस्था/व्यक्ति/हितधारी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति/सुझाव मय दस्तावेज प्रस्तुत कर दे, अन्यथा आवेदन अनुसार अग्रिम कार्यवाही निष्पादित कर दी जावेगी। बाद मियाद पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

sl

उपायुक्त जोन-2

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि : जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा0, जयपुर को प्रेषित लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन करवाकर प्रकाशित विज्ञप्ति की मूल प्रति जोन कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। आप द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति की प्रति जोन कार्यालय में उपलब्ध नहीं कराये जाने से प्रकाशन के सम्बन्ध में कोई सूचना जोन कार्यालय में संधारित नहीं हो पाती है। अतः कृपया विज्ञप्ति की प्रति आवश्यक रूप से भिजवावें।

sl
उपायुक्त जोन-2

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{0141-2574768} (O) ईपीबीएक्स-0141-2569696 Ext. 8820 : फ़ैक्स +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-2/2022/डी- 943

दिनांक 23-5-22

विज्ञप्ति

जविप्रा में निम्नलिखित भूखण्डधारियों द्वारा भूखण्डों के नाम हस्तान्तरण/नियमन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदित भूखण्डों/भूखण्डधारियों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.स.	आवेदक का नाम/ ऑन लाईन आवेदन क्रमांक	भूखण्ड संख्या मय योजना का नाम	उपलब्ध कराये गये दस्तावेज	लीज डीड/आवंट न पत्र	वांछित कार्यवाही
1	श्री दानिश खान पुत्र श्री गुलाम मोहम्मद/ 102191	डबल स्टोरी आवास संख्या ईएल-41, विधाघर नगर, जयपुर	अपंजीकृत ईकरारनामा दिनांक 01.11.2001, वसीयतनामा	जविप्रा का आवंटन पत्र श्रीमती कृष्णा देवी अग्रवाल	नाम हस्तान्तरण /लीज डीड
2	श्री नरेश नारवानी पुत्र श्री सिरचूमल /97986	आवास संख्या ए-425, विधाघर नगर, जयपुर	अपंजीकृत ईकरारनामा दिनांक 06.10.1986, 17.10. 1995, हक त्याग पत्र दिनांक 15.03. 2021	जविप्रा का आवंटन पत्र श्रीमती सुशीला देवी	नाम हस्तान्तरण /लीज डीड
3	श्री शिव कुमार मित्तल, गिरधारी लाल मित्तल पुत्रान श्री परमानन्द मित्तल/105912	शंकर भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना शंकर नगर के भूखण्ड संख्या 115 पूर्वी भाग	रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.04.2022, हक त्याग पत्र दिनांक 21.09.2021, 15.04.2021	ग.नि.स.स. का आवंटन पत्र श्री मंगाराम के नाम से जारी	नाम हस्तान्तरण/ लीज डीड/ उपविभाजन
4	श्री शिव कुमार मित्तल, पुत्र श्री परमानन्द मित्तल/105916	शंकर भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना शंकर नगर के भूखण्ड संख्या 115 दक्षिणी-पश्चिमी भाग	रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.04.2022, हक त्याग पत्र दिनांक 21.09.2021, 15.04.2021		

अतः जरिये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि आवेदको द्वारा उपलब्ध कराये गये उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर आवेदित भूखण्डों के नाम हस्तान्तरण/नियमन/ उपविभाजन सम्बन्धी कार्यवाही किये जाने में किसी संस्था/व्यक्ति/हितधारी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति/सुझाव मय दस्तावेज प्रस्तुत कर दे, अन्यथा आवेदन अनुसार अग्रिम कार्यवाही निष्पादित कर दी जावेगी। बाद मियाद पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

PRO/R-448
25/5/22

52
उपायुक्त जोन-2
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{0141-2574768} (O) ईपीबीएक्स-0141-2569696 Ext. 8820 : फ़ैक्स +91-141-2574555




जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-2/2022/डी- 955

दिनांक 24/5/22

विज्ञप्ति

श्री मोहम्मद यामीन द्वारा विधाधर नगर योजना के ई.डब्ल्यू.एस. क्वार्टर संख्या बी-495 के नाम हस्तान्तरण जारी करने हेतु बख्शीशनामा, वसीयतनामा, मृत्यु प्रमाण-पत्र के आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदित भूखण्ड का आवंटन जविप्रा द्वारा श्री नजीर मोहम्मद के पक्ष में जारी किया गया था। वसीयतनामा में अंकन अनुसार आवंटी की मृत्यु दिनांक 11.07.1997 को एवं आवंटी की पत्नी की मृत्यु दिनांक 20.08.2003 को हो चुकी है। आवंटी की पत्नी द्वारा भूखण्ड का वसीयतनामा श्रीमती वहीदन खान के हक में किया गया है एवं वसीयतनामा उपरान्त वहीदन खान द्वारा भूखण्ड को जरिये बख्शीशनामा (गिफ्ट डीड) द्वारा मोहम्मद यामीन को भेट स्वरूप दिया गया है। भूखण्ड की मूल पत्रावली जोन कार्यालय में उपलब्ध नहीं हो पा रही है। अतः जरिये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर आवेदित ई.डब्ल्यू.एस. भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण किये जाने में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो, तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति/सुझाव मय दस्तावेज प्रस्तुत कर दें, अन्यथा नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में निष्पादित कर दी जावेगी। बाद मियाद पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।



उपायुक्त, जोन-2
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि : जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा0, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि विज्ञप्ति का प्रकाशन कराकर विज्ञप्ति की मूल प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करें।

उपायुक्त, जोन-2
जविप्रा, जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

PRO/R-449
25/5/22

पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का श्रम करावें।


उपायुक्त, जोन-2



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

7/11
आजादी का
अमृत महोत्सव

क्रमांक:-जविप्रा/उपा./जोन-13/2022/डी- 4163

दिनांक:- 25/5/22

सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर भूखण्ड का पट्टा/नामहस्तांतरण हेतु आवेदन किया गया है :-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.ग.) में	नाम/पता	समिति का नाम	योजना का नाम	नामहस्तांतरण/लीज डीड/फी होल्ड लीजडीड/अन्य
1.	डी-439	396.00 व.गी.	श्री विजय पाल सिंह पुत्र श्री जयराम सिंह	जविप्रा	ट्रांसपोर्ट नगर	नामहस्तांतरण/फी होल्ड लीजडीड
2.	सी-323	288.00 व.गी.	श्री विजय पाल सिंह पुत्र श्री जयराम सिंह	जविप्रा	ट्रांसपोर्ट नगर	नामहस्तांतरण/फी होल्ड लीजडीड
3.	सी-322	396.00 व.गी.	श्री विजय पाल सिंह पुत्र श्री जयराम सिंह	जविप्रा	ट्रांसपोर्ट नगर	नामहस्तांतरण/फी होल्ड लीजडीड
4.	ए-4/115	160.00 व.गी.	श्री राजेश शर्मा पुत्र स्व. श्री महावीर प्रसाद शर्मा श्री राकेश शर्मा पुत्र स्व. श्री महावीर प्रसाद शर्मा	जविप्रा	ट्रांसपोर्ट नगर	नामहस्तांतरण/फी होल्ड लीजडीड
5.	बी-240	220.00 व.गी.	श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा पुत्र श्री सत्यनारायण शर्मा	जविप्रा	पीताम्बरा योजना	नामहस्तांतरण/फी होल्ड लीजडीड

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो गय साक्ष्य के इस सूचना का प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

PRO/K-450
25/5/22

-3/-
उपायुक्त, जोन-13
ज.वि.प्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:-

1. परामर्शी (जनसम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
2. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त, जोन-13
ज.वि.प्रा, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302 004
दूरभाष91-141-2569795 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटे.: 8340 : फैक्स+91-141-2574555

पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-13
ज.वि.प्रा, जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:-ज.वि.प्रा./उपा./जोन-13/2022/डी-4158

दिनांक: 24/5/22

लोक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री विजय कॉलोनी विकास सेवा समित बस्सी की आवासीय योजना विजय कॉलोनी, ग्राम-बस्सी, तहसील-बस्सी, जिला-जयपुर के खसरा नम्बर 1571 रकबा 0.46 हैक्टेयर, 1577 रकबा 2.09 हैक्टेयर (आंशिक) की लोकसूचना क्रमांक 2649 दिनांक 03.01.2022 को जारी की गयी थी। जारी लोकसूचना के खसरा नम्बर 1577 रकबा 2.09 हैक्टेयर आंशिक में संशोधन कर खसरा नम्बर 1577 रकबा 2.09 हैक्टेयर पढ़ा जावें।

उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था व अन्य को कोई आपत्ति हो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 24/5/22 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपि: सहायक निदेशक (जनसम्पर्क) ज.वि.प्रा., जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त लोक सूचना का प्रकाशन करवाकर समाचार पत्रों की प्रति जोन कार्यालय में प्रस्तुत करे।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

PRO/R-451
25.5.22

1. जन सम्पर्क अधिकारी, जावप्रा, जयपुर का जान सूचना का प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का श्रम करावें।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-9/2022/डी- 3031

दिनांक- 25/5/22

सार्वजनिक सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है। इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञापित प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में आपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भू.सं.	क्षेत्रफल	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	68	227.00 व. ग.	13एफ शांति धाकड़ कॉलोनी	श्रीमती कमला मीणा पत्नी स्व. श्री नाथूलाल मीणा एवं श्री सुरेश मीणा पुत्र स्व. श्री नाथूलाल मीणा	श्री जीवराज सिंह पुत्र श्री बजरंग सिंह	अपंजीकृत इकरारनामा, मृत्यु प्रमाण पत्र
2	13ए	148.00 व.ग.	महेश कॉलोनी	श्री नरेश कुमार सोनी पुत्र श्री बहादुर सोनी	श्री नरेश कुमार सोनी पुत्र श्री बहादुर सोनी	सदस्यता सूची में भूखण्ड अंकित नहीं।
3	एस/10-32	27.84 व.मी.	पिंकसिटी शोपिंग सेन्टर	श्री प्रभु नारायण पुत्र स्व. श्री चौथू राम शर्मा	श्री चौथू राम शर्मा पुत्र श्री सोमनाथ शर्मा	मृत्यु प्रमाण पत्र,
4	ई-1	363.85 व.ग.	रिद्धी-सिद्धी एनक्लेव विस्तार	श्री विनित गंगवाल पुत्र श्री एम.के. गंगवाल	श्री विनित गंगवाल पुत्र श्री एम.के. गंगवाल	मूल दस्तावेज गुम
5	ई-17	214.06 व.ग.	रिद्धी-सिद्धी एनक्लेव विस्तार	श्री विनित गंगवाल पुत्र श्री एम.के. गंगवाल	श्री विनित गंगवाल पुत्र श्री एम.के. गंगवाल	मूल दस्तावेज गुम

उक्त भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण जारी करने में किसी भी व्यक्ति/हितधारी/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-9 कार्यालय में दर्ज करवाये, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दी जावेगी।

प्रतिलिपी-

1. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को आम सूचना का प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

दिनांक-25/5/22

क्रमांक: जविप्रा/जोन-9/2022/डी- 3034

सार्वजनिक सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है। इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भू.सं.	क्षेत्रफल	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	9/AI/137 9/DE/249 9/AE/550 9/AE/151 9/BE/27 9/AD/117 9/AE/47	1250-00 12-50 12-50 12-50 12-50 50-00 12-50	रिंग रोड	श्री भगवान सहाय एवं श्री राजू लाल मीणा पुत्रान स्व. श्री गोपाल	श्री गोपाल पुत्र श्री रामदेव	मृत्यु प्रमाण पत्र, रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र।

आवेदक द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अपंजीकृत वसीयत के आधार पर उक्त भूखण्डों के नाम हस्तान्तरण जारी करने में किसी भी व्यक्ति/हितधारी/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-9 कार्यालय में दर्ज करवाये, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दी जावेगी।

प्रतिलिपी-

- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को आम सूचना का प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक-जविप्रा/उपा./जोन-14/2022/डी-2468

दिनांक..25/5/2022

सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारियों द्वारा दस्तावेज/आवेदन प्रस्तुत कर भूखण्ड का नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने हेतु आवेदन किया गया है:-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	नाम/पता	समिति का नाम/निजी खातेदारी/जविप्रा	योजना का नाम
1.	बी-107	श्रीमती मोनिका गर्ग	निजी खातेदारी	प्रिम हैबिटेट
2.	बी-108	श्रीमती अंजू अग्रवाल	निजी खातेदारी	प्रिम हैबिटेट

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड का नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

sd

उपायुक्त जोन-14,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
2. रक्षित पत्रावली।

21/7-

उपायुक्त जोन-14,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

PRO/R-454
25/5/22

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दुरभाष : Direct Line-0141-2576296(O), EPBX-0141-2569696, Ext.: 8380, Fax-0141-2574555, e-mail:

dc.zone14.jda@rajasthan.gov.in



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-2/2022/डी- 957


दिनांक 25/5/22

विज्ञप्ति


जविप्रा में निम्नलिखित भूखण्डधारियों द्वारा अपंजीकृत इकरारनामे के आधार पर विधाधर नगर योजना के ई.डब्ल्यू.एस आवासों के नाम हस्तान्तरण/फी होल्ड पट्टे हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.स.	आवेदक का नाम/ आवेदित भूखण्ड संख्या	मूल आवंटी का नाम	विक्रय इकरारनामा दिनांक
1	राजेश कुमार एवं सुरेश सोनी पुत्रान सत्यनारायण सोनी, बी-234,	मुन्ना लाल पुत्र श्री शिवनाथ	31.03.2022
2	लता पत्नी श्री धर्मदास, ए-252	चांद पुत्र श्री गोस मोहम्मद	04.06.1986

अतः जरिये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि आवेदको द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर आवेदित आवास का नाम हस्तान्तरण/फी होल्ड पट्टा जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो, तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति/सुझाव मय दस्तावेज प्रस्तुत कर दें, अन्यथा नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही आवेदिका के पक्ष में निष्पादित कर दी जावेगी। बाद मियाद पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।


उपायुक्त, जोन-2
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि : जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा0, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि विज्ञप्ति का प्रकाशन कराकर विज्ञप्ति की मूल प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करें।


उपायुक्त, जोन-2
जविप्रा, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क(8) के अन्तर्गत

दिनांक 25.05.2022

संख्या.....1109.....

लोक सूचना

अधोहरताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्वारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण सिरसली गृह निर्माण सहकारी समिति लि० की योजना श्री गणेश विहार कालोनी मुकुन्दपुरा रोड भंकरोटा के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चात्तवर्ती हस्तांतरितों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिघृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुनर्ग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिघृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुनर्ग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टे. में)	स्वामित्व
श्रीरामगोपालपुरा उर्फ भोज्यावास तहसील सांगानेर	541	0.73 में से 0.14 हेक्टे.	1. ज्याना देवी पत्नि सीताराम हि. 1/15 जाति जाट सा.देह खातेदार 2. धर्मसिंह पुत्र सीताराम हि. 1/15 जाति जाट सा.देह खातेदार 3. नाथु पुत्र गणेश हि. 1/3 जाति जाट सा.देह खातेदार 4. बलदेव सिंह पुत्र सीताराम हि. 1/15 जाति जाट सा.देह खातेदार 5. भगवान सहाय पुत्र सीताराम हि. 1/15 जाति जाट सा.देह खातेदार 6. मोहन लाल पुत्र सीताराम हि. 1/15 जाति जाट सा.देह खातेदार 7. रोडू पुत्र गणेश हि. 1/3 जाति जाट सा.देह खातेदार
	542	0.60 में से 0.55 हेक्टे.	1. ज्याना देवी पत्नि स्व. हि. 151/2715 जाति जाट सा.देह खातेदार 2. धर्मसिंह पुत्र सीताराम हि. 151/2715 जाति जाट सा.देह खातेदार 3. नाथु पुत्र गणेश हि. 151/543 जाति जाट सा.देह खातेदार 4. बलदेव सिंह पुत्र सीताराम हि. 151/2715 जाति जाट सा.देह खातेदार 5. भगवान सहाय पुत्र सीताराम हि. 151/2715 जाति जाट सा.देह खातेदार 6. मोहन लाल पुत्र सीताराम हि. 151/2715 जाति जाट सा.देह खातेदार 7. रोडू पुत्र गणेश हि. 241/553 जाति जाट सा.देह खातेदार
	कुल किता 2	कुल 0.69 हेक्टे.	

नगरीय विकास, आवासन एवं रवायत शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/ अभियान/2021/म. ग. जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में कमरा न. 312, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जयिप्रा स्थित न्यायालय में कार्यालय समय उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुनर्ग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन-12 जयिप्रा, जयपुर

PRO/R-458
25.5.22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर
प्रारूप 13
{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क(8) के अन्तर्गत

संख्या D-988

दिनांक 24/5/2022

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्वारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण नवभारत गृ.नि.स.स. की योजना भगवती नगर के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृषि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपटित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्राक्धानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपटित धारा 90ए(5) एवं सपटित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जायें।

ग्राम का नाम मय तहसील	खसरा नम्बर	रकबा	90'क' किये जाने योग्य रकबा	स्वामित्व (नवीन जमाबन्दी अनुसार)
ग्राम गोकुलपुरा तहसील जयपुर	175/1	1.7326 है०	6916.34 व.ग.	गीता देवी पत्नी कैलाश चन्द हिस्सा 1/12 जाति मीणा

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं रवायत शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविधि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो गय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में कमरा नं. पीबी-एसएफ-218डी, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 24/5/2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन-07 जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन-07 जविप्रा, जयपुर